<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 11/2026-27 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा /20010/एमवाईटीपी/जीएएल/कार्गो/भोगापुरम/2026-27

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण/

*****

आदेश संख्या 11/2026-27

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख : 31.07.2026

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल)**
हवाईअड्डा	:	**भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल)**

विषय: मैसर्स जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) द्वारा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2027 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

मैसर्स जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) की प्रस्तुति:

1. हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात **जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) द्वारा भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो टर्मिनल के** डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन, रख-रखाव और हस्तांतरण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से रियायत दी गई थी। जीवीआईएएल (हवाईअड्डा प्रचालक) और जीएएल (रियायतग्राही) के बीच 29 जुलाई, 2022 को बीस (20) वर्ष की अवधि के लिए रियायत करार किया गया था।

2. मैसर्स जीएएल, स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने बताया कि भोगापुरम में भावी ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल ~25,000 एमटी की वार्षिक संचालन क्षमता वाले 24x7 एकीकृत अंतरदेशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए डिजाइन किया गया अतिआधुनिक, मॉल्यूलर सुविधा (कार्यालयों सहित ~4,830 वर्गमीटर) के साथ तैयार किया जा रहा है। आईएसपी ने सूचित किया कि भोगापुरम हवाईअड्डे पर उनका वाणिज्यिक प्रचालन जुलाई, 2026 में शुरू होने की आशा है।

3. मैसर्स जीएएल (आईएसपी) ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2026 के पत्र द्वारा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, भोगापुरम में इनकी प्रस्तावित अंतरदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक्सप्रेस कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए तदर्थ टैरिफ प्रस्तुत की।

4. मैसर्स जीएएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इनकी प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से 31 मार्च, 2027 तक, या, आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम टैरिफ (हैदराबाद हवाईअड्डे पर कार्गो टर्मिनलों के लिए लागू +20% वृद्धि के आधार पर) की मंजूरी दें।

<u>प्राधिकरण की जांच</u>

5 प्राधिकरण नोट करता है कि जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ('जीएएल') की शत-प्रतिशत सहायक कंपनी, जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) को भोगापुरम, आंध्र प्रदेश में डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एपीवी) के रूप में सम्मिलित किया गया था।

6 यह नोट किया गया है कि भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग अवसंरचना के विकास के लिए हवाईअड्डा प्रचालक (जीवीआईएएल) ने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एकीकृत कार्गो टर्मिनल सुविधा के डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन, रख-रखाव और हस्तांतरण के लिए अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) (12.10.2021) जारी किया, जिसमें मैसर्स जीएएल (जीवीआईएएल की नियंत्रक कंपनी) निविदा प्रक्रिया में सफल बोलीदाता के रूप में सामने आई।

7 एकीकृत कार्गो टर्मिनल (डीबीएफओटी आधार पर) के निर्माण और प्रचालन के लिए हवाईअड्डा प्रचालक (जीवीआईएएल) और सफल बोलीदाता (मैसर्स जीएएल) के बीच 29.7.2022 को बीस (20) वर्ष की अवधि के लिए रियायत करार किया गया।

8 मैसर्स जीएएल ने अपने दिनांक 27.2.2026 के उपर्युक्त पत्र के माध्यम से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आरजीआईए), हैदराबाद में कार्गो टर्मिनल प्रचालकों के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित टैरिफ के आधार पर ऐरा द्वारा अनुमोदन के लिए अपनी प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ का प्रस्ताव पेश किया।

9 मैसर्स जीएएल के प्रस्ताव की प्रारंभिक समीक्षा करने पर प्राधिकरण ने देखा कि कुछ कमियां/सूचनाओं का अभाव है और तदनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में मैसर्स जीएएल से अपेक्षित दस्तावेजों/स्पष्टीकरण की मांग की:

(i) मैसर्स जीएएल के पक्ष में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में इसकी कार्य पद्धति के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति।

(ii) भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो की संरक्षता के लिए जीएएल के पक्ष में सीमा-शुल्क विभाग का अनुमोदन

10 ऐरा के प्रश्न के जवाब में मैसर्स जीएएल ने दिनांक 28.7.2026 की ई-मेल द्वारा सूचित किया कि उन्होंने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से कार्गो हैंडलिंग प्रचालन प्रारंभ करने के लिए बीसीएएस और सीमा-शुल्क विभाग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं। आईएसपी ने उपर्युक्त ई-मेल द्वारा कार्गो टर्मिनल सहित भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के बीसीएएस की अंतिम सुरक्षा जांच (बीसीएएस का दिनांक 5.7.2026 का पत्र) और भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमा-शुल्क क्षेत्र की अधिसूचनाओं संबंधी सीमा-शुल्क विभाग के दिनांक 16.7.2026 के पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की। तत्पश्चात आईएसपी ने मैसर्स जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और हवाईअड्डों पर विनियमित एजेंटों के रूप में इसके निदेशकों की सुरक्षा अनुमति के संबंध में बीसीएएस के दिनांक 7.5.2026 के पत्र संख्या 15/116/2025-डेल्ही-बीसीएएस (ई-277499) की प्रति भी प्रस्तुत की।

11 प्राधिकरण ने मैसर्स जीएएल के तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए किए गए अनुरोध की जांच की और प्राधिकरण यह मानता है कि आईएसपी द्वारा एमवाईटीपी की प्रस्तुति ऐरा के टैरिफ दिशा-निर्देश-2011 के अनुसार है। साथ ही यह भी कि मैसर्स जीएएल के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्राक्रिया पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। इस बीच मैसर्स जीएएल को भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इसके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने में सक्षम बनाने के लिए प्राधिकरण भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईएसपी के प्रस्तावित अंतरदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक्सप्रेस कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में आईएसपी के लिए तदर्थ टैरिफ मानने का निर्णय लेता है।

12 आस-पास के/तुलनायोग्य हवाईअड्डों (हैदराबाद, मोपा, गोवा और नोएडा) पर कार्गो टर्मिनल प्रचालकों (सीटीओ) के लिए लागू टैरिफ का तुलनात्मक विश्लेषण करने और आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के रूप में तुलनायोग्य दरों को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकरण द्वारा मैसर्स जीएएल के लिए तदर्थ टैरिफ तय की गई है। एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्गो (निर्यात एवं आयात) के संबंध में प्राधिकरण ने सामान्य कार्गो (सीटीओ के एयर कार्गो टर्मिनल पर इनके द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले) की तुलना में न्यूनतम 30% कम टीएसपी प्रभार मानने का निर्णय लिया। प्राधिकरण द्वारा मैसर्स जीएएल के लिए तय की गई तदर्थ टैरिफ संलग्नक-1 में दी गई है और यह 31.3.2027 तक या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

13 आईएसपी भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रचालन प्रारंभ करने की वास्तविक तारीख (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) सूचित करेगा और प्राधिकरण द्वारा मैसर्स जीएएल के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से 6 माह के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फोर्मेट में बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

<u>आदेश</u>

प्राधिकरण इसके समक्ष रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) को भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर (संलग्नक-I के अनुसार) वाणिज्यक प्रचालन की तारीख से 31.03.2027 तक या आईएसपी के लिए इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, अंतरदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक्सप्रेस कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

(iii) ऊपर बताए अनुसार, अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू कर शामिल नहीं हैं।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक, भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मैसर्स जीएएल के संबंध में अनुमोदित इस तदर्थ टैरिफ को सभी हितधारकों की सूचना के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री राजेश अरोड़ा, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वाणिज्य एवं विकास),
जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएमआर भोगापुरम एयर कार्गो)
न्यू उड़ान भवन- टर्मिनल- 3 के सामने,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
नई दिल्ली-110037

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2) मैसर्स जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 10-1-43, फ्लैट नम्बर 202, द्वितीय तल, शिरीपुरम फोर्ट, शिरीपुरम, विशाखापट्टनम- 530003